

फर्द अहकाम

(नियम 26)

स्थानत उपखण्ड अधिकारी मुकाम लाखौरी
 विमल कुमार बनाम महेन्द्र कुमार वर्मा
 केस मुकदमा 53, 188 RTA नं. 31/3/21 सन


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
06/01/21	सरिस्ते की रिपोर्ट होकर वाड पत्र पेश हुआ वकील वादीगठा उपस्थित वाड पत्र दर्ज रजि. हो प्रतिवादीगठा को जर्ज सम्मन तलब कर पत्रावली दिनांक . 24-3-2021 को पेश की।	
24-3-21	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित सम्मन तामील होकर नया आदेश दया अतः पुन तलबपत्र पेश होकर तलबी जारी की वारंते तलबी पत्रावली 10-6-21 को पेश की।	
10-6-21	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवाही बाहर दौरे में तशरीफ रखते हैं। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषण कन्डोलैन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक...12-8-21...को पेश होंगे।	कोविड-19
14-7-2021	वादी द्वारा जर्ज आर्घवता प्रार्थना पत्र पेश कर पत्रावली तलब कर वाद पत्र को नोट पेश कर रजि. करने हेतु पेश किये जाने पर वादी का वाद पत्र शीगे से तलब होकर पेश हुआ वकील वादी उपस्थित वकील वादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर अनवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी के मध्य आपसी शजीनामा हो गया है।	Not Pany 14/7/21



तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अह: वादी वादपत्र को आगे चलाना
नहीं चाहते है वाद-पत्र को नोटिफिस
में स्थापित करवाया जाये। वादी के
आधीवक्ता द्वारा वाद-पत्र को नोटिफिस
किये जाने से वादी का वादपत्र
स्थापित किया जाता है पञ्जावली
कैसल केक नम्बर से क्रम है।
जस तक भील दारिखल दफ्तर हो


उपस्थान अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी